

ई-रिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला

मऊ

तहसील

मधुबन

आवेदन क्र०

211920030196678

प्रमाणपत्र क्र०

622213020285

जारी दिनांक: 04/10/2021

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

अंकुर लाल चौरसिया

मानवेन्द्र कुमार चौरसिया

शान्ती देवी

, रसूलपुर आदमपुर उर्फ रामपुर

रसूलपुर आदमपुर उर्फ रामपुर

मधुबन

मऊ



उत्तर प्रदेश राज्य की नुमांसी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अंकुर लाल चौरसिया पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं आसमादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्गों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विधिप्लूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: अशिकावा, आईपीसीएल जन सेवा केंद्र
पद: अशिकावा, केन्द्र प्रभारी

स्थान: Madhuban, मधुबन, फतेहपुर मंडाव, फतेहपुर
मंडाव, मधुबन

दिनांक: 07/10/2021

हस्ताक्षर एवं मुहर

SUBHASH
CHANDRA

Digitally Signed by
SUBHASH
CHANDRA
On Personal
S=UTTAR PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

मधुबन, मऊ

दिनांक: 04/10/2021

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण द्वारा जारी किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केंद्र के अधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://e-distric.up.gov.in> पर हमका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, मान्यतापत्र किया जा सकता है।